



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 178

बिलासपुर, दिनांक 21-01-2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार जिला- रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट कैप्टिव पावर प्लांट हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन बाबत ।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/PIPELINE/37602/2018

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-770/3039 रायपुर दिनांक 04.12.2019 व.म.अ. रायगढ़ का पत्र क्र./तक./1497 दिनांक 21.12.2020

विषयान्तर्गत लेख है कि मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम-तराईमाल तहसील-तमनार जिला- रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा गेरवानी नाला से अपने ग्राम तराईमाल स्थित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए 0.117 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार विधिवत अभिलेखों सहित व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है -

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01-07	फार्म A भाग -1 में संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	08-14	पंजीयन क्र. FP/CG/Pipeline/37602/2018 Date 24.04.2019 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	15	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	16	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	17-18	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	19-22	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	23-28	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	29-31	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	32	संलग्न है ।

10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	33	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	34-47	आवश्यकता नहीं है ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	48-54	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	55-59	आवश्यकता नहीं है ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	60	आवश्यकता नहीं है ।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	61	आवश्यकता नहीं है ।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय10% वार्षिक वृद्धि के)	62	आवश्यकता नहीं है ।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	63	आवश्यकता नहीं है ।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	64	नहीं किया गया, प्रतिवेदन संलग्न है ।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	65	प्रश्न ही नहीं उठता ।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	66	आवश्यकता नहीं है ।
21	गैर वन भूमि अनुउपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	67	आवश्यकता नहीं है ।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	68	संबंधित नहीं है ।
23	रिक्लेमेशन प्लान	69	संबंधित नहीं है ।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	70	संबंधित नहीं है ।
25	व्यवस्थापन प्लान	71	संबंधित नहीं है ।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र – III में)	72-80	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	81	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	82-83	आवश्यकता नहीं है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	84	152959.600 हे.
30	व.स.अ. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	85-91	3396.325 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	92	2.015 हे.
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	93	संलग्न है ।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	94	आवश्यकता नहीं है ।

34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	95-96	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	97-100	संलग्न है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	101-102	संलग्न है।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	103	संलग्न है।
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	104	संलग्न है।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	105	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	106	संबंधित नहीं है।
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख			
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र – I में)	107-109	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	110	आवश्यकता नहीं है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	111	संलग्न है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :-	112-113	

संलग्न:- प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04 प्रतियों में।

पृ. क्र./तक. /
प्रतिलिपि:-

179

- वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम- तराईमाल ब्लाक- तमनार जिला- रायगढ़ छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

2020/बिलासपुर, दिनांक: 21-01-2021

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम तराईमाल, ब्लॉक तमनार, जिला- रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट के लिए गेरवानी नाला से पानी प्रदाय हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित आरक्षित/राजस्व वनभूमि 0.117 हे. का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 21/01/2021

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर